

12.01.18

वकील ऊपी. उप.। संशोधित राइटल पेश
किया जो शामिल पत्रावली किया गया।
अपी. ऊपील चलागा नहीं चाहते हैं। रेल्वों।
सं. 4 निरंजन स्वयं उप.। रेल्वों. भी ऊपील
चलागा नहीं चाहते हैं। अपीलान्ट ऊपील को
Not Press करना चाहते हैं। उतः ऊपीलान्ट
द्वारा ऊपील Not Press करने में ऊपील
इसी स्टैज पर खारिज की जाती है। पत्रावली
के सल सुमार ही कर काद तकमील जाब्ता
दाखिल दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निरंजन

दिनेश शर्मा
एडवोकेट